ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव
Prof. Manish R. Joshi
Secretary

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

F. No. 4-1/2025(DEB-NER) **21 श्रावण, 1947 / 12th August, 2025**

सार्वजनिक सूचना

Commission decision regarding the feasibility of offering programmes in the specialization of healthcare and allied disciplines falling under the NCAHP Act, 2021, in ODL and Online mode.

Commission in its 592nd meeting held on 23.07.2025 deliberated on the feasibility of offering programmes in the specialisation of healthcare and allied disciplines falling under the NCAHP Act, 2021, in ODL and Online mode. Accordingly, the Commission decided as under:

Commission considered and approved the following recommendations of the 24th DEB Working Group (DWG) meeting held on 22nd April, 2025 regarding offering of programmes in the specialization of Psychology, Microbiology, Food and Nutrition Science, Biotechnology and Clinical Nutrition & Dietetics in ODL mode and Online mode:

a) *No HEI shall be permitted to offer any allied and healthcare programmes covered in NCAHP Act, 2021, including Psychology as specialization under ODL/Online mode, from the academic session July-August, 2025 and onwards.*

b) *For HEIs already granted recognition to offer such programmes for upcoming academic session July-August 2025 and onwards:*

   i. *Any recognition already granted to HEIs for offering such programmes for the academic session July-August 2025 and onwards shall be withdrawn by the UGC. In the case of programmes with multiple specialization such as Bachelor of Arts (English, Hindi, Punjabi, Economics, History, Mathematics, Public Administration, Philosophy, Political Science, Statistics, Human Rights and Duties, Sanskrit, Psychology, Geography, Sociology, Women Studies), then only those specialization covered in NCAHP Act, 2021 shall be withdrawn.*

   ii. *HEIs shall be directed not to admit any student in such programmes from the upcoming academic session July-August 2025.*

All stakeholders are requested to take note of the above and adhere to the Commission's decision.

(मनिष जोशी)
सचिव

बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 | Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
दूरभाष (Ph.): 011-23236288/23239337 | सम्पर्क सूत्र (ई-मेल) (E-mail) : secy.ugc@nic.in

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव
Prof. Manish R. Joshi
Secretary

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

फा.सं . 4-1/2024(डीईबी-एनईआर) 21 श्रवण, 1947 / 12 अगस्त, 2025

सार्वजनिक सूचना

एनसीएएचपी अधिनियम, 2021 के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य देखभाल एवं संबद्ध विषयों में विशेषज्ञता वाले कार्यक्रमों को ODL एवं ऑनलाइन मोड में संचालित करने की व्यवहार्यता के संबंध में आयोग का निर्णय।

आयोग ने 23.07.2025 को आयोजित हुई 592वीं बैठक में एनसीएएचपी अधिनियम, 2021 के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य देखभाल एवं संबद्ध विषयों में विशेषज्ञता वाले कार्यक्रमों को ODL एवं ऑनलाइन मोड में संचालित करने की व्यवहार्यता पर विचार-विमर्श किया। तदनुसार, आयोग ने निम्नलिखित निर्णय लिया:

आयोग ने 22 अप्रैल, 2025 को आयोजित 24वीं डीईबी वर्किंग ग्रुप (DWG) बैठक में मनोविज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान, खाद्य एवं पोषण विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी तथा नैदानिक पोषण एवं आहार विज्ञान में विशेषज्ञता वाले कार्यक्रमों को ODL मोड एवं ऑनलाइन मोड में संचालित करने से संबंधित निम्नलिखित अनुशंसाओं पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया:

अ) कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान (HEI) को एनसीएएचपी अधिनियम, 2021 के अंतर्गत आने वाले किसी भी स्वास्थ्य देखभाल एवं संबद्ध कार्यक्रम जिसमें मनोविज्ञान एक विशेषज्ञता के रूप में शामिल है, ODL/ऑनलाइन मोड में जुलाई–अगस्त, 2025 के शैक्षणिक सत्र एवं उसके बाद से संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आ) वे उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) के लिए जिन्हें आगामी शैक्षणिक सत्र जुलाई–अगस्त, 2025 एवं उसके बाद के लिए ऐसे कार्यक्रम संचालित करने की मान्यता पहले ही प्रदान की जा चुकी है:

i. ऐसे कार्यक्रमों के संचालन के लिए जुलाई–अगस्त, 2025 के शैक्षणिक सत्र एवं उसके बाद हेतु उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) को पूर्व में प्रदत्त किसी भी मान्यता को UGC द्वारा वापस ले लिया जाएगा। ऐसे कार्यक्रमों के मामले में, जिनमें एक से अधिक विशेषीकरण हैं, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स (अंग्रेज़ी, हिन्दी, पंजाबी, अर्थशास्त्र, इतिहास, गणित, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सांख्यिकी, मानवाधिकार एवं कर्तव्य, संस्कृत, मनोविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, महिला अध्ययन), तब केवल वे विशेषीकरण, जो एनसीएएचपी अधिनियम, 2021 के अंतर्गत आते हैं, वापस लिए जाएंगे।

ii. उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) को यह निर्देश दिया जाएगा कि वे आगामी शैक्षणिक सत्र जुलाई–अगस्त, 2025 से ऐसे कार्यक्रमों में किसी भी छात्र का प्रवेश न लें।

सभी हितधारकों से अनुरोध है कि उपर्युक्त का संज्ञान लें और आयोग के निर्णय का पालन करें।

(मनिष जोशी)
सचिव

बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 | Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
दूरभाष (Ph.): 011-23236288/23239337 | सम्पर्क सूत्र (ई-मेल) (E-mail) : secy.ugc@nic.in